

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-94/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० बुलबुल कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, एस०एन०सी०यू०, सदर अस्पताल, खगड़िया के दिनांक-29.11.2022 से 28.12.2025 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

(i)	दिनांक-29.11.2022 से 29.11.2025 तक (कुल-1097 दिन)	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना सख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
(ii)	दिनांक-30.11.2025 को (कुल-01 दिन)	-	सप्ताहिक अवकाश के रूप में।
(iii)	दिनांक-01.12.2025 को (कुल-01 दिन)	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा (मुख्यालय) अवधि के रूप में।
(iv)	दिनांक-02.12.2025 को (कुल-01 दिन)	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
(v)	दिनांक-03.12.2025 से 26.12.2025 तक (कुल-24 दिन)	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा (मुख्यालय) अवधि के रूप में।
(vi)	दिनांक-27.12.2025 से 28.12.2025 तक (कुल-02 दिन)	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/आर०-94/2026-

1793(2)

/स्वा०,

पटना,

दिनांक 29/11/26

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया/अधीक्षक, सदर अस्पताल, खगड़िया/कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया/डा० बुलबुल कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, एस०एन०सी०यू०, सदर अस्पताल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/11/26
सरकार के अवर सचिव।